



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005

फोन-(022) 66553336/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 21वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिये आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना;
- श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612), सरकार के नामित निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;
- श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577), सरकार के नामित निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

- सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना तथा इसके लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए एवं लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन (नों) या पुनः अधिनियमन(नों) सहित, के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्वारा मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: P1988MH009800) को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक की पांच (5) वर्षों की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल और उक्त फर्म के बीच समय-समय पर आपसी सहमति से तय शुल्क पर नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं."



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,

Phone-(022) 66553336 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 21st Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Tuesday, July 22, 2025 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2025 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2025;
- To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2024-25;
- To re-appoint Shri Manoj Sahay (DIN: 08711612), Government Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;
- To re-appoint Shri Sushil Kumar Singh (DIN: 09584577), Government Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

- To appoint Secretarial Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:-

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 204 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, the Members of the Bank do hereby approve the appointment of M/s Parikh & Associates, Practising Company Secretaries (Firm registration number: P1988MH009800) as Secretarial Auditor of the Bank for audit period of five (5) years commencing from FY 2025-26 up to and including FY 2029-30 at a fee as may be mutually agreed from time to time, between the Board of Directors of the Bank and the said firm."

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और विलेखों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्वारा किया जाता है, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों को अपेक्षित फॉर्म या आवेदन प्रस्तुत करने और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने के लिए जिन्हें इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए आवश्यक और उचित समझा जाये.”

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (“सूचीबद्धता विनियम”), कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद “बोर्ड” कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प के द्वारा दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल मानी जायेंगी) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

- 1) लागू विधियों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर एलआईसी को किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं या किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं और/या गारंटियां, साख पत्र अथवा किसी भी प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना;
- 2) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज का भुगतान और उसकी मोचन राशि;
- 3) बीमा योजनाओं और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन;
- 4) मुद्रा बाजार लिखत / सावधि उधार देने / सावधि ऋण लेने (रेपो / रिवर्स रेपो सहित);
- 5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा/ अथवा बैंक/ इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्न कार्यों के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/ सेवाओं का एलआईसी से/ को अंतरण: (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, फॉरेक्स और डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित लेनदेन, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकारी सेवाओं, बीमा सेवाओं, आस्ति प्रबंधन शुल्क, करार शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साक्षा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) खर्च उठाना, जो बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किये गये हैं. इस

“RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution.”

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Section 188 of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the “Board”, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- 1) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/ or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank;
- 2) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof;
- 3) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business;
- 4) Money market instruments / term borrowing / term lending (including repo/ reverse repo);
- 5) Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from/ to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, transactions pertaining to forex and derivative contracts, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank; not withstanding the fact that such

तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह की संविदाओं/ व्यवस्थाओं / लेनदेनों, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में ₹1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत लागू अन्य तात्त्विक सीमा, जिसमें जमा व उस पर ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का पर्याप्त हिस्सा होंगी, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त संविदाएं/ व्यवस्थाएं/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत के आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये जायेंगे."

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और अपेक्षित कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं.”

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं:

- 1) लागू विधियों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं, या किसी अन्य प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं, और / या गारंटियां, साख पत्र, या किसी अन्य प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना;

contracts/arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with LIC Housing Finance Limited being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- 1) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of fund-based facilities, and / or guarantees, letters of credit, or any other form of non-fund based facilities to or on behalf of LIC Housing Finance Limited, sanctioned up to such amounts and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank;

2) ऋण प्रतिभूतीकरण का समनुदेशन

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह की संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत लागू अन्य तात्त्विक सीमा से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त संविदाएं/ व्यवस्थाएं/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत के आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किये जायेंगे."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के सदस्य एतद्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और आवश्यक कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं या बैंक के किसी भी निदेशक (को) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं."

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

**राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594**

पंजीकृत कार्यालय :

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400005
दिनांक: 18 जून 2025

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 19 सितंबर 2024 के परिपत्र संख्या 09/2024, जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133, जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित के अनुसार, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही आगामी एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं. एजीएम के लिए बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थान माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 20 जून 2025 तक

2) Assignment of Loan Securitization

notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

**Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594**

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005
Dated: June 18, 2025

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.
2. In terms of Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 read with all earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with all earlier Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Registered office of the Bank shall be deemed to be the venue for AGM. Further, the Notice of AGM along with Annual Report for FY 2024-25 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are

केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (बैंक का आरटीए)/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत हैं।

3. बैंक ने उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के संपूर्ण विवरण तक पहुँचने के लिए सटीक पथ के साथ वेब लिंक वाला एक पत्र भेजा है, जिनका ईमेल पता बैंक के आरटीए या डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे कंपनी की ई-मेल आईडी अर्थात् ldbiequity@idbi.co.in पर अनुरोध भेजें, जिसमें उनके फ़ोलियो नंबर/ डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का स्पष्ट उल्लेख हो।
4. एमसीए के दिनांक 19 सितंबर 2024 के परिपत्र सं. 09/2024, इसके द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित के अनुसरण में, इस एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने, सहभागिता करने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के हकदार हैं।
5. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएँ पहले पाएँ आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं) जिन्हें पहले आएँ पहले पाएँ आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
7. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी महासभाओं पर सचिवीय मानक (एसएस-2) तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए द्वारा जारी 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 और 8 अप्रैल 2020 के साथ पठित 19 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2023, 28 दिसम्बर 2022 के परिपत्रों के अनुसरण में बैंक एजीएम में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है। सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

registered with KFin Technologies Limited (RTA of the Bank)/ National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services India Limited (CDSL) as on Friday, June 20, 2025.

3. Bank has sent, a letter containing the web link, along with the exact path to access the complete details of the Annual Report to shareholders whose email address is not registered with the Bank's RTA or DP. The physical copies of Annual Report and Notice of AGM will be dispatched only to those shareholders who request for the same. Members who are desirous of obtaining hard copy of the Annual Report should send a request to the Company's e-mail id viz., ldbiequity@idbi.co.in clearly mentioning their Folio number / DP ID and Client ID.
4. Pursuant to the Circular No 09/2024 dated September 19, 2024 read with earlier Circulars, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint Authorized Representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-Voting.
5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc) who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
6. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
7. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated September 19, 2024, September 25, 2023, December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

8. एमसीए के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 19 सितंबर 2024 के परिपत्र सं. 09/2024 के अनुरूप एजीएम के आयोजन का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है। एजीएम का यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है।
9. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में दिये अनुसार वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए बैठक में उपस्थित होने पर पूरा होगा।
10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, इकाई: आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, पंजीकृत कार्यालय की 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेली. नं. (022) 66553336/3062/2806/3147, 6619-4172, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें।
11. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लॉगिन करने पर उपलब्ध रहेंगे।
12. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली), के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) यथा संशोधित की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
 - i) एजीएम की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।
 - ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे चुके सदस्य वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे एजीएम में दुबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे।
 - iii) लॉगिन आईडी का ब्योरा इस नोटिस में नीचे दिया गया है।
13. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 16 जुलाई 2025 से मंगलवार, 22 जुलाई 2025 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी। नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई उन शेयरधारकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्यों या शेयरों के हिताधिकारी स्वामियों के रूप में **मंगलवार, 15 जुलाई 2025** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार का निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में तय की गई है, को दर्ज होंगे।
8. In line with the MCA Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
9. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.
10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit: IDBI Bank, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana - 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 [Tel. No.(022) 66553336/3062/2806/3147, 6619-4172, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.
11. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>
12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :
 - i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
 - ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/ OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
 - iii) Details of login id are given below in this Notice.
13. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 16, 2025 to Tuesday, July 22, 2025 (both days inclusive)**. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **Tuesday, July 15, 2025** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

14. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि आगामी एजीएम में अनुमोदित होता है, के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु नियत “रिकॉर्ड तिथि” **मंगलवार, 15 जुलाई 2025 है।**
15. सेबी के दिनांक 07 मई 2024 के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिनके फोलियो में स्थायी खाता संख्या (“पैन”), नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश के भुगतान के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर पात्र होंगे।
16. तदनुसार सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित आईएसआर फॉर्म के साथ सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनेक), अर्थात् बैंक के आरटीए www.kfintech.com पर उपलब्ध है। यह नोट किया जाये कि किसी भी सेवा अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जायेगी जब फोलियो केवाईसी अनुपालक है।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू होगी और **सोमवार, 21 जुलाई 2025 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी। उक्त समयवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम सदस्यों/ हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख) अर्थात् **मंगलवार, 15 जुलाई 2025** को दर्ज होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकेंगे। शेयरधारकों का मताधिकार निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **मंगलवार, 15 जुलाई 2025** को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूँ?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार “दो चरण” शामिल हैं:

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में एक्सेस करना

- अ) डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन पद्धति तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 9 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

14. The “**Record Date**” fixed for determining entitlement of members to final dividend for the Financial Year ended March 31, 2025 if approved at ensuing AGM is **Tuesday, July 15, 2025**
15. Pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, the shareholders holding shares in physical form whose folio(s) do not have Permanent Account Number (“PAN”), Choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature updated, shall be eligible for payment of dividend, in respect of such folio(s), only through electronic mode upon their furnishing all the aforesaid details in entirety to KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent.
16. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting supporting documents duly filled and signed with relevant ISR forms, the formats of which are available at Bank’s website <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> and that of KFin Technologies Limited (KFinTech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from **Thursday, July 17, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 21, 2025 at 5.00 p.m (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **Tuesday, July 15, 2025**, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **Tuesday, July 15, 2025**.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

- A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है :

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	<p>1. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं. आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा. पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. कंपनी के नाम या e-Voting service provider अर्थात् NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p>
	<p>2. मौजूदा आईडीईएस यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट : https://eservices.nsdl.com पर जाएँ. ई-सर्विसेस होम पेज पर “Login” के अंतर्गत “Beneficial Owner” आइकॉन पर क्लिक करें जो “IDeAS” सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या e-Voting service provider अर्थात् NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p>


Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<p>1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No, Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>
	<p>2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter yourexisting User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

	<p>3. यदि यूजर आईडीईएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. “Register Online for IDeAS Portal” सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.</p>	<p>3. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p>
	<p>4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही “Login” आइकॉन पर क्लिक करें जो ‘Shareholder/Member’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटॉरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider i.e. NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p> <p>5. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप “NSDL Speede” सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं.</p>	<p>4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p>

NSDL Mobile App is available on



NSDL Mobile App is available on



<p>वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा। ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जायें और लॉगिन आइकॉन तथा इसके बाद New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपना मौजूदा ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/इजीएस्ट यूजर पात्र कंपनियों का ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डाल कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम, डीमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगा। सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सीधे सिस्टम में एक्सेस कर सकेंगे। 	<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Provider.
--	--	---

वैयक्तिक शेयरधारक (जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वचुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे।
--	--

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886-7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-21-09911 पर कॉल कर सकते हैं।

आ) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वचुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो "Shareholders/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा।
विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉगिन से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉगिन कर सकते हैं। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉगिन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं।

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
--	--

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022-4886-7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. आपका यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं.	8 करेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300**** और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी 12***** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	EVEN संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

- क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?
- (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल को खोलें और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल को खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.
- (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो:
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"Forgot User Details/Password?"** पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं)।
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर **"Physical User Reset Password?"** विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं)।
 - ग) यदि उपर्युक्त दोनों विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते, आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए **"Terms and Conditions"** पर टिक करें।
8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. **"Login"** बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा।

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों :

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करें और महासभा में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के **"EVEN"** देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग चक्र और महासभा सक्रिय स्थिति में हैं।
2. आप उस बैंक का **"EVEN"** चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको **"Join General Meeting"** के अंतर्गत **"VC/OAVM"** लिंक को क्लिक करना होगा।
3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें। आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा **"Submit"** पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर **"Confirm"** पर क्लिक करें।
5. पुष्टिकरण के बाद, **"Vote Cast Successfully"** संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर Print विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे।

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **"Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- 1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जिसे मतदान के लिए अधिकृत किया गया है, के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.com को भेजें. संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में “e-Voting” टैब के अंतर्गत प्रदर्शित “Upload Board Resolution/Authority Letter” पर क्लिक करके भी बोर्ड का संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं.
2. इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password?” या “Physical User Reset Password?” के विकल्प पर जाना होगा.
3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा टेलीफोन नं. 022 - 4886 7000 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.com पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in भेजें.
2. यदि शेयर डीमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई गई लॉगिन पद्धति अर्थात् डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति देखें.
3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं.
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

General Guidelines for shareholders

- 1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter, etc by clicking on “Upload Board Resolution/ Authority Letter” displayed under “e-Voting” tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email id correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों जैसी है.
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं तथा जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस** संबंधी उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने “Join Meeting” मेनू के अंतर्गत “VC/OAVM” लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि “Join Meeting” मेनू के अंतर्गत VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएस प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें.
3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.
5. ऐसे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, वे एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके और “Speaker Registration” टैब पर क्लिक करके तथा अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और शहर का उल्लेख करते हुए गुस्वार, 17 जुलाई 2025 की सुबह 9.00 बजे से रविवार, 20 जुलाई 2025 की शाम 5.00 बजे की अवधि तक अपना नाम वक्ता के रूप में पंजीकृत कराना होगा.
6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से सोमवार, 14 जुलाई 2024 की सुबह 9.00 बजे से 16 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे तक ई-मेल idbiequity@idbi.co.in पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under “Join meeting” menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Members who would like to express their views or ask questions during AGM will have to register themselves as Speaker by logging into NSDL's e-Voting platform and clicking on the tab “Speaker Registration” and mentioning their registered e-mail id, mobile number and city during the period starting from Thursday, July 17, 2025 at 9.00 a.m. up to Sunday, July 20, 2025 at 5.00 p.m.
6. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account no/folio no, email id, mobile number at idbiequity@idbi.co.in from 9.00 a.m. on Monday, July 14, 2025 till 5.00 p.m. on July 16, 2025. The same will be replied by the Bank suitably.

7. बैंक एजीएम के समुचित रूप से संचालन के लिए यथोचित समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार रखता है। जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
8. एजीएम से पहले या इसके दौरान वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए सदस्यगण एनएसडीएल से 022-4886-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.com पर ईमेल भेजें।

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद अर्थात् 20 जून 2025 के बाद और 15 जुलाई 2025 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार तय करने के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 20 जून 2025 (एजीएम की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 15 जुलाई 2025 तक (सदस्यों का मताधिकार तय करने के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 15 जुलाई 2025 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता का विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password?” अथवा “Physical User Reset Password?” विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं।

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 15 जुलाई 2025 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग सीमा के अधीन होगा।
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें एजीएम के दौरान दुबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password?” अथवा “Physical User Reset Password?” विकल्प पर जाना होगा।
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनके आप शेयरधारक हैं।
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें।
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 21 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी।
- ऐसे व्यक्ति, जो 15 जुलाई 2025 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझेंगे।

7. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time as appropriate for smooth conduct of AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.com.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 20, 2025 and up to July 15, 2025 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 20, 2025 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 15, 2025 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 15, 2025, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.com by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 15, 2025 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 21, 2025 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 15, 2025, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (इकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी, तेलंगाना, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के इक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022- 66553336/3062/2806/3147 66194172) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 022-4886-7000 पर संपर्क करें.

9. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न रहने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
10. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 24 जुलाई 2025 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने अपने ईमेल आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवरण भेजें ताकि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना/पोस्टल बैलेट/ ई-वोटिंग में सहभागिता, वार्षिक रिपोर्ट और/या अन्य सूचनाएँ प्राप्त कर सकें.
02. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियाँ शेयरधारकों को लाभांश सहित निवेशकों को सभी भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से करेंगी, इसलिए हम उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिन्होंने आज तक अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे इसे पंजीकृत / अद्यतित करें, क्योंकि इससे आपके बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने की सुविधा होगी.
03. लाभांश पर टीडीएस: वित्त अधिनियम, 2020 यथा संशोधित द्वारा और के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है. इसीलिए बैंक को लागू दरों पर लाभांश आय के वितरण पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की आवश्यकता होती है. वैध पैन की उपलब्धता, आवासीय स्थिति, शेयरधारक की श्रेणी आदि के आधार पर टीडीएस दर भिन्न हो सकती है और यह बैंक द्वारा प्राप्त अपेक्षित दस्तावेजों/ घोषणाओं के प्रावधान के अधीन है. कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस का अनुपालन करने/ कर प्रावधानों को विथहोल्ड करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर में

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddy, Telangana, Hyderabad- 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022-66553336/3062/2806/3147, 66194172) or NSDL -Toll Free No. 022-4886-7000.

9. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
10. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 24, 2025 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings/Postal Ballot, participate in e-Voting, receive Annual Report and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.
02. In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed companies shall make all payments to investors including dividend to Shareholders, through RBI approved Electronic mode of payment, hence we request all Shareholders who have till date not registered their bank account details, to register / update the same, as this will facilitate receipt of dividend directly into your bank account.
03. TDS on Dividend: In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the Act"), as amended by and read with provisions of the Finance Act, 2020, the dividends declared and paid by a Bank are taxable in the hands of the shareholders. Therefore, the Bank is required to deduct Tax at Source (TDS) on the distribution of dividend income at applicable rates. The TDS rate may vary depending upon the availability of valid PAN, residential status, category of shareholder, etc. and is subject to provision of requisite documents / declarations received by the Bank. Please note that these details as available on record date in the Register of Members will be relied upon by the Bank, for the purpose of complying with the applicable TDS / withholding tax provisions. The detailed information on

रिकार्ड तारीख को उपलब्ध इन विवरणों पर बैंक द्वारा भरोसा किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए टीडीएस की दर/ विथहोल्ड कर प्रावधान, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ छूट की प्रयोज्यता (यदि कोई हो) की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट <https://www.idbibank.in/> पर होस्ट की गई है।

04 आपके मामले में लागू अपेक्षित दस्तावेज (जैसे फॉर्म 15जी/15एच, टीआरसी, फॉर्म 10एफ, स्व-प्रमाणित घोषणा, आदि) 15 जुलाई 2025 को या उससे पहले <https://ris.kfintech.com/form15/> पर अपलोड किए जा सकते हैं। लागू कर की कटौती के लिए उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। जहां दस्तावेजों की प्रतियां अपेक्षित हैं, ऐसी प्रतियां शेयरधारक या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-प्रमाणित की जानी चाहिए।

05 भौतिक शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> पर उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज जैसे फॉर्म आईएसआर-1, फॉर्म आईएसआर-2, फॉर्म एसएच-13, फॉर्म आईएसआर-3 भर कर नीचे दिए गए पते पर आरटीए को भेजें:

केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (केफिनटेक),
इकाई-आईडीबीआई बैंक लि., सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32,
गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032
[टोल फ्री नं. 1800 309 4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com]

बैंक के रजिस्ट्रार को उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, कृपया लाभांश जारी करने के लिए बैंक को इसकी ईमेल आईडी - idbiequity@idbi.co.in पर सूचित करें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023 और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित पते पर आरटीए को अद्यतन क्लाइंट मास्टर सूची प्रस्तुत करें।

06 भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को दूर करने और डीमैट धारिता के विविध लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करें। शेयरधारक अपने नजदीकी आईडीबीआई शाखा में डीमैट खाता खोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों का लाभ उठा सकते हैं।

एजीएम की सूचना में विशेष कारोबार की मर्दों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) ('एलओडीआर') विनियम, 2015 के विनियमन 24ए के अनुसार, बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से शुरू होकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक पांच (5) वर्षों की लेखा परीक्षा अवधि के लिए 2,25,000/- रुपये प्रति वर्ष (प्लस लागू कर) के शुल्क और वास्तविक फुटकर खर्च तथा शेष चार वर्षों के लिए समय-समय पर बैंक के निदेशक मंडल और फर्म के बीच आपसी सहमति से जैसे तय हो, पर बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, समकक्ष समीक्षा फर्म मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स की नियुक्ति की सिफारिश की है।

the rate of TDS/withholding tax provisions, applicability of exemption (if any) along with required documents for various category is hosted on Bank website at <https://www.idbibank.in/>

04 The requisite documents (such as Form 15G/15H, TRC, Form 10F, Self-Attested Declaration, etc.) as applicable in your case can be uploaded at <https://ris.kfintech.com/form15/> on or before July 15, 2025. Any communication received after the above mentioned cut-off date will not be considered, for deduction of applicable tax. Where copies of the documents are required, such copies should be self-attested by the shareholder or its authorized signatory.

05 Physical Shareholders who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023 and FY 2023-2024 are requested to submit the KYC documents viz Form ISR-1, Form ISR-2, Form SH-13, Form ISR -3 available at <https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx> to the RTA at the address provided below:

KFin Technologies Limited (KFintech),
Unit IDBI Bank Ltd, Selenium Tower B, Plot No.31-32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad- 500032
[Toll Free No. 1800 309 4001, Email: einward.ris@kfintech.com]

After submission of above documents to the Registrar of the Bank, kindly intimate the same to the Bank at its email id- idbiequity@idbi.co.in for release of dividend.

Shareholders holding shares in demat mode who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023 and FY 2023-2024 are requested to submit the updated Client Master list to the RTA at the address mentioned above.

06 To eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of demat holding, shareholders are requested to dematerialize the shares held by them in physical form. Shareholders can open demat account with the nearest IDBI branch and avail the benefits of holding shares in electronic form.

Explanatory Statements in respect of items of Special Business in the AGM Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

In terms of Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ('LODR') Regulations, 2015, the appointment of Secretarial Auditor of the Bank shall be approved by the Shareholders of the Bank on recommendation of the Board.

Accordingly, the Board of Directors of the Bank has recommended the appointment of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, a peer reviewed firm as Secretarial Auditor of the Bank for Audit period of five (5) years commencing from FY 2025-26 up to and including FY 2029-30 at a fee of ₹ 2,25,000/- per annum (plus applicable taxes) and out of pocket expenses at actuals and for the remaining four years, as may be mutually agreed from time to time, between Board of Directors of the Bank and the firm, for the approval of shareholders.

मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स 1987 में स्थापित प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की एक फर्म है। यह फर्म कॉरपोरेट कानून, सेबी विनियमन, फेमा विनियमन के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें सचिवीय लेखापरीक्षा, समुचित सावधानी लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। इस फर्म की भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समकक्ष समीक्षा और गुणवत्ता समीक्षा की गई है। फर्म में दस भागीदारों सहित पैंतीस सदस्य हैं; ग्यारह योग्य पेशेवर और चौदह अन्य सहयोगी और प्रशिक्षु हैं।

मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स ने 22 अप्रैल 2025 की अपनी सहमति के माध्यम से पुष्टि की कि फर्म कोई अयोग्यता वहन नहीं करती है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1 ए) के अनुसार बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने योग्य है। सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिनांक 31 दिसंबर 2024 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-2/सीआईआर/पी/2024/185 के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1 बी) के दायरे में हैं।

निदेशक मंडल एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में दिये गए सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है। कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

2. सूचना की मद संख्या 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबद्ध पक्षकारों के साथ किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले में शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्त्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों।

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा तथा वित्तीय वर्ष में पृथक् रूप से किए गए लेनदेन अथवा पिछले लेनदेनों को मिलाकर लेनदेन की राशि ₹ 1000 करोड़ अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्त्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्त्विक आरपीटी के लिए 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 21वीं एजीएम तक वैध रहेगा। इसलिए, बैंक को तात्त्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

M/s Parikh & Associates is a firm of Practicing Company Secretaries founded in 1987. The firm provides professional services in the field of Corporate Laws, SEBI Regulations, FEMA Regulations including carrying out Secretarial Audits, Due Diligence Audits and Compliance Audits. The firm is Peer Reviewed and Quality Reviewed by the Institute of the Company Secretaries of India. The firm has thirty-five members including ten partners; eleven qualified professionals and fourteen other associates and trainees.

M/s Parikh & Associates vide their consent dated April 22, 2025 confirmed that the firm has not incurred any disqualification and are eligible to be appointed as Secretarial Auditor of the Bank in terms of Regulation 24 (1A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The services to be rendered by M/s Parikh & Associates as Secretarial Auditor are within the purview of Regulation 24 (1B) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/CIR/P/2024/185 dated December 31, 2024.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 5 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC at the Banks' 20th Annual General Meeting (AGM) held on July 23, 2024 which will be valid till the 21st AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बैंक की संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यवहारों की श्रृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) करता है। एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

1) निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को एक समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार रिजर्व बैंक के लागू मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी निबंधन एवं शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं। मूल्य, बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है। सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाजार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बेंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबद्ध पक्षों सहित) को समान रूप से प्रस्तावित किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है। सुविधाओं का अवधि ग्राहकों की आवश्यकता (संबद्ध/असंबद्ध पक्षों) पर निर्भर करता है जो विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होता है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है। लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए होते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) में पालन किए जानेवाले निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं।

2) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप प्रयोज्य कानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आर्बट्रिट कर दी जाती हैं तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर सभी निवेशकों को समान रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित लेनदेनों के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रस्तावित ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है। लेन-देनों की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी। यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है।

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

1) Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

2) Issuance of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

3) बीमा योजनाओं और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार किया है। विनियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई से उचित अनुमोदन/को सूचना दी गई है। बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा योजनाओं के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है। एलआईसी के साथ करार, करार की शर्तों और विनियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीकरण के अधीन है। अर्जित शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों जैसे व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, विनियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, लेनदेनों का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी की बीमा योजनाएं ऑफर करता है और करार की शर्तों के अनुसार शुल्क/कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है।

4) मुद्रा बाजार लिखत /सावधि उधार देने/ मीयादी उधार लेने (रेपो/रिवर्स रेपो सहित)

बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक विनियामक अनुपातों के लिए चलनिधि की स्थिति और रखरखाव के प्रबंधन हेतु मुद्रा बाजार परिचालन करने की आवश्यकता होती है। लेन-देन का मूल्य बैंक की निधीयन/चलनिधि आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम से उत्पन्न होता है। लेन-देन का मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह विनियामक मानदंडों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार अधिकतम अनुमत सीमा के अधीन है। लेन-देनों की शर्तें बाजार प्रथाओं के अनुरूप या बैंक और संबद्ध पक्षों की आवश्यकता के आधार पर होंगी। ये बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में ग्राहकों/प्रति पक्षकारों (संबद्ध/असंबद्ध) को और रिजर्व बैंक के लागू विनियमों/निर्देशों के अनुसार ऑफर किए जाते हैं। संबद्ध पक्षों के साथ इस तरह के लेन-देनों के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता वहन नहीं करेगा। ये लेन-देन विभिन्न प्रति पक्षकारों (संबद्ध/असंबद्ध) के साथ व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के दौरान प्रचलित बाजार दरों पर किए जाते हैं और संबंधित पक्षों की निधीयन/चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए किए जाते हैं। इसलिए, यह बैंक के हित में है।

5) अन्य लेनदेन

मुद्रा बाजार लेनदेनों में अन्य सामान्य बाजार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाजार आधारित लेनदेन, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव अनुबंधों में लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉरपोरेट बॉण्डों और मुद्रा बाजार लिखतों की द्वितीयक बाजार में खरीद/बिक्री, बॉण्डों में निवेश, निधियों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां।

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता

3) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

4) Money Market Instruments/term Borrowing/term Lending (including repo/reverse repo)

The Bank is required to conduct money market operations to manage liquidity position and maintenance of required regulatory ratios prescribed by RBI. The value of the transaction depends on funding/liquidity requirements of the Bank and arise from the ordinary course of business. The value of the transaction cannot be determined by the Bank. However, it is subject to maximum permitted limit as per the regulatory norms and Bank's internal policies. The terms of transactions would be in line with market practices or based on requirement of the Bank and related parties. These are offered to customers/counter parties (related/unrelated) in the ordinary course of banking business and in accordance with applicable RBI regulations/ directions. The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions with the related parties. These transactions are done at prevailing market rates in the ordinary course of business with various counter parties (related/unrelated) and to manage funding/liquidity requirements of respective parties. Therefore, it is in the interest of the Bank.

5) Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Transactions in Forex and Derivative contracts, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, Investment in funds, any other income/expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The

नहीं लेता है। उपरोक्त लेनदेनों में संबद्ध पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है।

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में हैं।

वित्तीय वर्ष में ऊपर बताए गए लेनदेन, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत "तात्त्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो सकते हैं। सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबद्ध पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए जाएंगे। सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा।

3. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबद्ध पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले में शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्त्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार सामान्य संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों।

1 अप्रैल 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा तथा वित्तीय वर्ष में पृथक् रूप से किए गए लेनदेन अथवा पिछले लेनदेनों को मिलाकर लेनदेन की राशि ₹ 1000 करोड़ अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्त्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसीएचएफएल के साथ किए जाने वाले तात्त्विक आरपीटी के लिए 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 21वीं एजीएम तक वैध रहेगा। इसलिए, बैंक को तात्त्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बैंक की संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसीएचएफएल से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यवहारों की श्रृंखला के रूप में हों अथवा अन्य

nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above, in a financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as "related party transactions", and as "material related party transactions", if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LICHFL at the Banks' 20th Annual General Meeting (AGM) held on July 23, 2024 which will be valid till the 21st AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LICHFL being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its

रूप में हों) करता है। एलआईसीएचएफएल के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार है:

1) निधि और गैर-निधि सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में एलआईसीएचएफएल सहित सभी ग्राहकों को एक समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधि और गैर-निधि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसीएचएफएल की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार भारतीय रिजर्व बैंक ('रिजर्व बैंक') के लागू मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी शर्तें (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं। मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है। ब्याज और शुल्क आय ऋण, गारंटी, नकद ऋण आदि के रूप में मूल लेनदेन से निकलने वाले परिणामी लेनदेन हैं। इसलिए, लेनदेन मूल्य (ब्याज / वित्तपोषण लागत) की मात्रा निहित मूल राशि के मूल्य पर निर्भर करती है। लेनदेन निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार किए जाते हैं, जैसा कि बैंक अपने सामान्य अनुक्रम में अपनाता है। साथ ही, ये लेनदेन बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हैं और इसलिए, बैंक के हित में हैं।

2) ऋण प्रतिभूतीकरण का समनुदेशन

बैंक समय-समय पर विभिन्न मूलकर्ताओं के साथ आस्ति समर्थित / बंधक-समर्थित प्रतिभूतीकरण / ऋण समनुदेशन लेनदेन करता है ताकि मुख्य रूप से अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ("पीएसएल") दायित्वों को पूरा किया जा सके। इस संबंध में, बैंक एलआईसीएचएफएल के साथ प्रतिभूतीकरण / ऋण समनुदेशन लेनदेन और अन्य ऐसे ही लेनदेन करने का प्रस्ताव कर सकता है। मूल्य बैंक के पीएसएल लक्ष्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंक की नीतियों पर निर्भर है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता जोखिम / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य सीमा के अधीन भी है। बैंक अपनी बहियों पर अतिरिक्त खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक ("रिजर्व बैंक") द्वारा निर्धारित पीएसएल के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतीकरण / ऋण समनुदेशन लेनदेन से लाभान्वित होता है और इसलिए ऐसे लेनदेन बैंक के हित में हैं।

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता नहीं

business requirement. Details of the proposed transactions with LICHFL are as follows:

1) Funded and Non-funded facilities

The funded and non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including LICHFL. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LICHFL as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as may be permitted under applicable Reserve Bank of India ("RBI") norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transactions form part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/ intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The interest and fee income are consequential transactions flowing out of principal transactions in the form of loan, guarantees, cash credit etc. Therefore, the quantum of the transaction value (interest / financing cost) depends on the value of the principal amounts involved. The transactions are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures (including credit appraisal, sanction and approval process) as followed by the Bank in its ordinary course. Also, these transactions are in furtherance of banking business and therefore, are in the interest of the Bank.

2) Assignment of Loan Securitization

The Bank periodically undertakes asset backed / mortgage-backed securitization / loan assignment transactions with various originators to mainly fulfil its Priority Sector Lending ("PSL") obligations. In this regard, the Bank may propose to undertake securitization / loan assignment transactions and other similar transactions with LICHFL. The value is dependent upon the Bank's PSL target and the Bank's Policies to fulfill the target and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by Reserve Bank of India and Bank's internal policies. The Bank benefits from the securitization / loan assignment transactions by acquisition of additional retail loan portfolio on its books and for meeting its targets for PSL as stipulated by the Reserve Bank of India ("RBI") and such transactions are therefore, in the interest of the Bank.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The

लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबद्ध पक्ष के सरोकार / हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में हैं.

एक वित्तीय वर्ष में ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत “तात्त्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन” की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबद्ध पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400005
दिनांक: 18 जून 2025

nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above, in a financial year may exceed the threshold of “material related party transactions” under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower. All the transactions will be entered on arm’s length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 18, 2025